

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17
दिनांक:-20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	रूपनारायण शर्मा	मवडी-सिवाना से नयागोव बोलका राजगढ के आदेश पर	ब्लॉक धानागाजी के स्थान पर राजगढ पढा जावें।
2	रामेश्वर	नया गोव बोलका राजगढ अलवर से मवडी-सिवाना बाडमेर के आदेश पर	ब्लॉक धानागाजी के स्थान पर राजगढ पढा जावें।
3	नरेश चन्द्र मट्ट	आभापुरा से गणेशपुर डूंगरपुर के आदेश पर	अन्य आदेश से भी स्थानान्तरण होने के कारण उक्त स्थानान्तरण निरस्त
4	निर्मला बघेल	बा10 कोरी से घलकिया-बोंसवाडा के आदेश पर	आदेश दिनांक 1.1.17 से प्रभावी होगा।
5	सांवत सिंह	बोंसवाडा से श्यामपुर मैनाना झुझनु के आदेश पर	कार्मिक का नाम सोवत सिंह यादव के स्थान पर सांवत सिंह पढा जावें।
6	जगराम सैनी	ऊँटवाल-रामगढ अलवर से क्याश अलवर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगका ल देय होगा।
7	सुभाष चन्द्र	3 केएसडी हनुमानगढ के आदेश पर	3 केएसडी के जिला कॉलम में हनुमानगढ के स्थान पर श्रीगंगानगर पढा जावें।
8	भैवरलाल जोगिड	ध्यावा-लाडनू, नागौर से रहनावा माधोपुरा-लक्ष्मणगढ सीकर के आदेश पर	वर्तमान पदस्थापन धावा के स्थान पर ध्यावा पढा जावें।
9	सुमेलता	रीथ-कोटडी, भीलवाडा से कटार-भीलवाडा के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
10	महावीर सिंह	डाईट चूरु से रतनपुरा-चूरु के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
11	बुद्धकरण पारीक	देवीकला-नागौर से बुगरखा-नागौर के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
12	रामगोपाल बलाई	लाम्बाहरिसिंह-टोक से लसाडिया- शाहपुरा, सीरवाडा के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
13	गोपाल सिंह	लेपला-कुम्भलगढ के आदेश पर	सिंघावली-भरतपुर आदेश 01.01.17 से प्रभावी।
14	शमसुद्धीन मंसूरी	कुकडा-भीम, राजसमंद से ओबरकला-गोगुन्दा उदयपुर के आदेश पर	स्थानान्तरित स्थान ओगरा के स्थान पर ओबरकला-गोगुन्दा, उदयपुर पढा जावें।
15	साधना घोष	बा10 निम्बाहडा-चित्तौड से कोटडीकला-चित्तौड के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
16	चैथमल मीना	कालेटो-मीनमाल, जालोर से बिसारणा-कमलरामगढ, जयपुर के आदेश पर	कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान कालेट के स्थान पर कालेटो-मीनमाल, जालोर पढा जावें।

17	श्रवण कुमार शर्मा	बिसारणा-जमवारामगढ, जयपुर से कालेटी-भीनमाल, जालोर के आदेश पर	कार्मिक का स्थानान्तरित स्थान कालेट के स्थान पर कालेटी-भीनमाल, जालोर पढा जावें।
18	इन्दर लाल जैन	बीईईओ, ऋषभदेव-उदयपुर से कारछा-उदयपुर के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
19	मुकेश चन्द्र मीना	सलेमपुर खूर्द-भरतपुर से महाराजसर - भरतपुर के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
20	मानाराम	सुपिंगागा जैसलमेर से झंवर-लूणी, जोधपुर के आदेश पर	झंवर-लूणी, जोधपुर आदेश 01.12.16 के स्थान पर 01.01.17 से प्रभावी माना जावें।
21	मांगीलाल गोयल	ओर-सिरोहीसे मावल-सिरोही के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
22	शारदा शर्मा	बा0 भिवाडी-अलवर से कारेण्डा-अलवर के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
23	महेश कुमार शर्मा	हाथमा-बाडमेर से परेच-बाडमेर के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
24	विरेश चन्द्र भट्ट	जामपुरा से जर्होपुरा के आदेश पर	अन्य आदेश से भी स्थानान्तरण होने के कारण उक्त स्थानान्तरण निरस्त
25	रमेश चन्द्र शर्मा	सदसरा-पाली से सिवास-पाली के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
26	नन्दराम	भटस अहीर, अलवर से सिद्धपुरा-प्रतापगढ के आदेश पर	कार्मिक का स्थानान्तरित स्थान सिंहपुरा के स्थान पर सिद्धपुरा-प्रतापगढ पढा जावें। साथ ही कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
27	राजकुमार	मुकन्दगढ मण्डी-झुन्झनु से फसखानी-झुन्झनु के आदेश पर	कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
28	राजकुमार महावर	सुपिंगागा-बाडमेरसेबा0 धोरीमन्ना-बाडमेर के आदेश पर	कार्मिक का नाम राजकुमार महावर तथा यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार


सुयुक्त निदेशक कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कर्मक:- शिविरा / माध्य / संस्था / बा-2 / 45002 / स्था-समा / 2016-17

दिनांक:- 28.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही कार्यावाही बाबत :-


28.11.16

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)


2. संबंधित उपनिदेशक (प्रारम्भिक, माध्यमिक)

3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (कार्मिक-1 / ग / विधि)

4. संबंधित संस्था प्रधान को पाठ्य विषय जाना है कि कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6. संबंधित कार्मिक

7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


सुयुक्त निदेशक-कार्मिक


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/स्था-समा/2016-17दिनांक:-20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	सुरेन्द्रकुमार नामा	रामावि सबलपुर मकराना राबामावि डिग्गी मालपुरा	पूर्व के कार्यरत का स्थानान्तरण 1.12.16 से प्रभावी है अतः उक्त पालना भी 1.12.16 से प्रभावी।
2	नन्दकिशोर गर्ग	देवखेडा-अजमेर से मुण्डोलाव-अजमेर के आदेश पर	कार्मिक की यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
3	जय प्रकाश	हासलसर-शुन्झनु से लाखेटा-समदडी, बाडमेर के आदेश पर	कार्मिक की यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।


संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45002/स्था-समा/2016-17 दिनांक:- 21.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (सम-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक(प्रारम्भिक/माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
5. संबंधित संस्था प्रधान को प्राबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. निर्जा एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक